UPGK010080052026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 3405/2026

शशिकान्त यादव पुत्र श्री बनारसी सिंह यादव, निवासी- नसीपुर कुसुम, जिला- गाजीपुर। हाल पता- जी0आर0पी0, अनुभाग कार्यालय, गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 467/2025
अंतर्गत धारा-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी0एन0एस0
व धारा- 12(1)बी पासपोर्ट अधिनियम
थाना- गोरखनाथ, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 13.08.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **शशिकान्त यादव** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र नीतू यादव द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि पासपोर्ट धारक राजीत यादव पुत्र रामनरेश यादव निवासी म0नं0 36 DS राजेन्द्र नगर नियर दुर्गापार्क वार्ड नं0-20 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर द्वारा फाइल नं0 LK: 060690234025 पासपोर्ट नं०- C7005445 एवं पन्ने कुमार पुत्र राजेन्द्र यादव निःगसी म0नं0 डी-12 श्याम बिहार कालोनी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर द्वारा फाइल नं0 LK1060685568425 पासपोर्ट नं0 C7005854 के पासपोर्ट बनवाने में लगे प्रपत्रों की जांच हेतु वादी को प्राप्त हुआ था। पासपोर्ट धारक राजीत यादव उपरोक्त के पासपोर्ट की जांच उ0नि0 ऋषभ सिंह एवं पासपोर्ट धारक पन्ने कुमार के पासपोर्ट की जांच उ०नि० रिपुसूदन शुक्ल से कराने पर पाया गया कि उपरोक्त पासपोर्ट धारकों द्वारा कूटरचित दस्तावेज (पहचान पत्र, बिजली बिल आदि) तैयार कर छद्मनाम से पासपोर्ट बनवाया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस का नियमित आरक्षी है तथा घटना के समय थाना गोरखनाथ में पासपोर्ट मुंशी के रूप में कार्यालयीय कार्य कर रहा था। प्रार्थी को वर्तमान प्रकरण में केवल संदेह एवं अनुमान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, जबकि उसके

विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का कार्य केवल पासपोर्ट पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना था। पासपोर्ट सत्यापन करना, आवेदक की पहचान का परीक्षण करना, रिपोर्ट तैयार करना अथवा सत्यापन को स्वीकृत या अस्वीकृत करना उसके अधिकार क्षेत्र में कभी नहीं था। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा निर्धारित पासपोर्ट सत्यापन प्रपत्र (जिसे प्रार्थी इस जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर रहा है) से स्पष्ट है कि कॉलम संख्या 6 में जांचकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं मोहर तथा तत्पश्चात थाना प्रभारी के हस्ताक्षर एवं अनुमोदन अनिवार्य है। इन सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद ही दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया होती है। संलग्न प्रपत्र से प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि प्रार्थी न तो जांच अधिकारी था, न अनुमोदन करने वाला अधिकारी और न ही उसके पास किसी रिपोर्ट को बदलने, संशोधित करने अथवा फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का कोई वैधानिक अधिकार था। वह केवल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुमोदित दस्तावेजों को तकनीकी रूप से पोर्टल पर अपलोड करता था। अभियोजन अब तक ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे यह सिद्ध हो कि किसी भी कथित फर्जी सत्यापन रिपोर्ट पर प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं या उसने किसी जांच अधिकारी अथवा थाना प्रभारी के स्थान पर स्वयं कोई रिपोर्ट तैयार की हो। भारतीय दण्ड न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि केवल किसी कार्यालय में कार्यरत होने अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होने मात्र से आपराधिक दायित्व स्वतः उत्पन्न नहीं हो जाता, जब तक कि अभियोजन प्रथमदृष्टया अपराध में सक्रिय सहभागिता, आपराधिक आशय (Mens Rea) अथवा आपराधिक षड्यंत्र का विश्वसनीय आधार प्रस्तुत न करे। प्रार्थी को कथित फर्जी पासपोर्ट से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ या उसने किसी अवैध कार्य में व्यक्तिगत भूमिका निभाई। प्रकरण में हर प्रकार से विधि की अवहेलना की गई है कि क्योंकि जब एक प्रेस रिपोर्ट में यह आया कि कुछ पासपोर्ट फर्जी बना है जिसमें एक पंजाब का कुख्यात आरोपी संलिप्त है और यह प्रेस रिपोर्ट आने के पश्चात समस्त आला पुलिस अधिकारी परेशान हो गए कि समाज में और सरकार में जनपद पुलिस की छवि खराब हो जाएगी इस नाते उन्होंने प्रार्थी को ही बलि का बकरा बने दिया और दिनांक 27.07.2026 को समय करीब 12:20 बजे दोपहर में प्रार्थी जब C.O पेशी कार्यालय जीआरपी गोरखपुर में ड्यूटी कर रहा था तभी से प्रार्थी को जबरन विभिन्न पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया और हर प्रकार से प्रताड़ित करने के पश्चात दिनांक 1.8.2026 को चालान किया गया जो यह प्रदर्शित करता है की प्रकरण में प्रार्थी की कोई भूमिका न होते हुए भी प्रार्थी को प्रकरण में अभियुक्त बना दिया गया है ताकि अन्य लोग बच सके। प्रार्थी एक सरकारी कर्मचारी है। उसका स्थायी निवास एवं सेवा अभिलेख उपलब्ध हैं। उसके फरार होने या न्यायालय से बचने की कोई संभावना नहीं है। सम्पूर्ण विवेचना मुख्यतः दस्तावेजों एवं सरकारी अभिलेखों पर आधारित है, जो पहले से विवेचक के कब्जे में हैं। अतः प्रार्थी द्वारा किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ किए जाने की संभावना नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जांच एवं उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है

कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. केस डायरी के परिशीलन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त अभिकथित घटना के समय थाना गोरखनाथ पर आरक्षी के पद पर कार्यरत था, जिस पर थाना स्थानीय पर पासपोर्ट का कार्य देखने का दायित्व था, परन्तु उस पर थाने पर आये 10 पासपोर्टों को आवेदकों द्वारा लगाये गये प्रपत्रों को देखकर थाने के हल्का उपनिरीक्षक/आरक्षी से जांच व सत्यापित कराये बिना अपलोड कर अग्रसारित करते हुए फर्जी पासपोर्ट बनवाने में सहयोग किये जाने का आरोप है। उक्त पासपोर्टों का प्रयोग कर आपराधिक मामलों में संलिप्त जोबनजीत सिंह उर्फ बिल्ला द्वारा विदेश यात्रा की गयी है, जिसे इण्डोनेशिया से डिपोर्ट कराया जाना बताया गया है तथा दयाल मल्ल द्वारा भी विदेश यात्रा की गयी, जिसे लुकआउट नोटिस के क्रम में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाना बताया गया है। मामले की विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले में सहअभियुक्त दयाल मल्ल उर्फ रामदयाल का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता एवं अभिकथित अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत, गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शशिकान्त यादव द्वारा मु०अ०सं०-467/2025, अंतर्गत धारा- 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी0एन0एस0 व धारा- 12(1)बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना- गोरखनाथ, जनपद- गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक- 13.08.2026</u>

(चन्द्रभान सिंह)
JO Code - UP6180
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2026.08.13 17:07:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court